अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, रामगढ़।

भू–वापसी अपील वाद संख्या–17 / 2016

सत्य रंजन पोद्दार वनाम प्रयाग मांझी एवं राज्य

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति

31/8/18

प्रस्तुत अपीलवाद न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के भू–वापसी वाद संख्या–25 / 14–15 में दिनांक–03.08.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। दायर वाद में दोनो पक्षों को नोटिस निर्गत कर विधिवत सुनवाई की गई है। वाद से संबंधित भूमि का ब्यौरा निम्न प्रकार है–

ग्राम	खाता न0	प्लॉट सं0	रकवा (एकड़ में)
संग्रामपुर टोला–बाबलौंग	17	1680, 1773, 1669	4.18
कुल–			4.18

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक मौजा–संग्रामपुर, थाना–गोला के खाता नं0–17, प्लॉट नं0–1680, रकबा–1.33 ए0, प्लॉट नं0 1773, रकबा 1.02 ए0, प्लॉट नं0–1669, रकबा–1.83 ए0 कुल रकबा 4.18 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में गयामनी मंझियान, पति मंगल मांझी के नाम से दर्ज है। खतियानी रैयत गया मंझियाईन अपनी संपूर्ण भूमि पर जोत आबाद करने के सक्षम नहीं थी। फलस्वरूप उक्त भूमि बराबर परती रहता था। जिस कारण खाता सं0 17 के अधिकांश प्लॉटों को गया मंझियाईन द्वारा इस्तिफा दे दिया गया था। जिसे भूतपूर्व जमीनदार द्वारा महेश चंद्र साहू, पिता–सुखदेव साहू को दिनांक 25.01.1933 को बन्दोबस्ती कर दिया गया। जबकि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–05.01.1948 से प्रभावी है। श्री साहू द्वारा उक्त भूमि पर शंतीपूर्वक दखल कब्जा करते हुए भूतपूर्व जमीनदार एवं वर्तमान में झारखण्ड सरकार को मालगुजारी भुगतान किया गया। महेश चंद्र साहू के मरनोपरांत अपीलार्थी का उक्त भूमि पर आज तक दखल कब्जा चला आ रहा है, जिसकी पुष्टि अंचल अधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में भी किया गया है। अंचल अधिकारी द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त भूमि की जमाबन्दी अपीलार्थी के पिता के नाम से विगत 50 वर्षों से अधिक समय से चल रहा है। अतः विपक्षी का दावा छोटानापुर कंस्तकारी अधिनियम 46(4-A) के तहत पोषनीय नहीं है। उक्त भूमि से संबधित पूर्व में निम्न न्यायालय में वाद संख्या–110 / 83 एवं वाद संख्या–4 / 92 में विपक्षी के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है। अतः अपीलार्थी का अपील Resjudicata के अन्तर्गत आता है। पंजी II के पेज नं0 20, भौल्युम नं0 1 में अपीलार्थी का जमाबंदी कायम है। उक्त भूमि प्रथम पक्ष के श्रीमती सुदी देवी, पति हरिश चन्द्र महतो वो पंचम कुमार पिंगल, पिता स्व0 भुदेव महतो वो चतराधारी महतो वो परमेश्वर महतो एवं नन्दलाल महतो, पिता सियाराम महतो केवाला संख्या–1307, दिनांक 06.05.2000 से क्रय किया है। उक्त भूमि का ईस्तेफानामा एवं भूमि का

हस्तांतरण 1947 से पहले है, इसलिए उक्त खाते की भूमि पर द्वितीय पक्ष को कोई हक दावा नहीं बनता है। अतः निम्न न्यायालय का आदेश खारिज करने योग्य है।

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक संथाल जाति के अन्तर्गत आता है। ग्राम–संग्रामपुर के रैयत सुरा मांझी के मृत्यु के पश्चात उनके दो पुत्र–धाना मांझी एवं खेपा मांझी उत्तराधिकारी हुए। धाना मांझी के मृत्यु के पश्चात उनके एकलौता पुत्र मंगला मांझी उत्तराधिकारी है और मंगला मांझी के मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी मो0 गयामनी मंझियाईन उत्तराधिकारी हुई। प्रथम पक्ष का कहना है कि भूमि गयामनी मंझीयाईन ने सरेंडर किया, परन्तु आवेदन में दायर प्लॉट सरेंडर का प्लॉट नहीं है। साथ ही ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट की धारा– 5 के अनुसार किसी विधवा को सरेन्डर अधिकार भी नहीं है। अतः उक्त सरेन्डर विधि विरूद्ध है। मौजा–संग्रामपुर के खाता नं0–17, प्लॉट नं0–1680, रकवा 1.33 एकड़ प्लॉट नं0 1669, रकवा 1.83 एकड़, प्लॉट नं0 1773, रकवा 1.02 एकड़, कुल रकवा 4.18 एकड़ भूमि विपक्षीगण की खतियानी भूमि है। खतियानधारी मो0 गया मंझियाईन, पति–मंगल मांझी, मौजा संग्रामपुर की निवासी हैं जो विपक्षीगण के दादा का सम्बन्ध है। जिसका प्रमाण अचंल जांच प्रतिवेदन में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अतः अपीलार्थी का यह कहना है कि खतियानी रैयत गयामणी मंझीयाईन की भूमि पर विपक्षीगण का हक–दावा नहीं बनता है, बिल्कुल ही अनुचित है। अतः अपीलार्थी का आवेदन खारिज करने योग्य है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–46 में स्पष्ट उल्लेखीत है कि यदि किसी खतियानधारी नावल्द फौत हो जाती है तो उपायुक्त अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए उक्त भूमि को उसके आदिवासी जन जाति में विभाजित कर सकते हैं। जिस भूमि पर आदिवासी कृषि कार्य कर अपना जीवन यापन कर सकते है। अपीलार्थी द्वारा सेरेण्डर का उल्लेख किया है जिसमें 38 प्लॉट का वर्णन है, जो सरासर गलत है, क्योंकि खाता नं0 17, प्लॉट नं0 38, कुल रकवा 27.10 एकड़ भूमि में 4 एकड़ 10 डिसमिल भूमि का सेरेण्डर गया है। यानी गया मंझीयाईन के द्वारा किया गया है प्लॉट नं0 1680, 1773, 1669 नहीं है। अतः उक्त सेरेण्डर भी विधि विरूद्ध है। अतः अपीलार्थी का कहना है कि उक्त खाता नं0 17 की भूमि की कुल 38 प्लॉट सेरेण्डर है, न्यायोचित नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा मनगढंत कहानी बनाकर न्यायालय का समय बर्बाद करने तथा गरीब आदिवासी को तंग और परेशान करना है। अपीलार्थी जाली कागज बनाकर आदिवासी की भूमि को हड़प गया है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है अतः अपीलार्थी का आवेदन खारिज करने योग्य है।

सरकारी अधिवक्ता द्वारा इस वाद में पक्ष रखते हुए बताया गया कि प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की है। जिसका द्वित्तीय पक्ष का अवैध कब्जा है। साथ ही बताया गया कि अपीलार्थी का हुकुमनामा भी अनिबंधित है एवं कायम जमाबन्दी भी बिना सक्षम पदाधिकारी के पंजी– II में दर्ज है। इसलिए अपीलार्थी के आवेदन को खारीज किया जाय एवं निम्न न्यायालय के आदेश को यथावत् रखा जाय।

अचंल अधिकारी, गोला ने प्रतिवेदित किया है कि मौजा– संग्रामपुर, थाना– गोला के ,खाता नं0 17, प्लॉट नं0– 1680, रकबा– 1.33 एकड़, प्लॉट नं0– 1773, रकबा– 1.02 एकड़, प्लॉट नं0– 1669, रकबा– 1.83 एकड़, कुल रकबा– 4.18 एकड़ भूमि मोसमात गया मांझीयाईन पति मंगला मांझी कौम शौताल के नाम से है। चालु पंजी II के पृष्ठ सं0 20/1 पर खाता नं0–17, रकबा–4.18 माल 1.75 रू0 का

जन्मबंदी महेश चन्द्र पोद्दार, पता सुखदेव चन्द्र पोद्दार साकिन गोला के नाम पर दर्ज है। पंजी II के प्राधिकार कॉलम में कोई आदेश का जिक्र नहीं है। रसीद 64–65 से 96–97 तक निर्गत है। विवादित भूमि भूतपूर्व मालीक कुँवर बलदेव नारायण सिंह के द्वारा बजरिये बन्दोबस्ती हुकुमनामा दिनांक 25.01.1933 को रैयती कायमी प्राप्त है। जिसका जिक्र केवाला सं0 1307, दिनांक 06.05.2000 में अवलोकन किया जा सकता है। विवादित भूमि पर वर्त्तमान में प्रथम पक्ष का दखल कब्जा है। आवेदकगण लगभग 50(पचास) वर्षों से बेदखल है। उक्त विवादित भूमि पूर्व में भू–वापसी वाद सं0 04/92 दायर किया गया, जिसमें प्रथम पक्ष यदुनाथ मांझी बनाम मोहन साव वगै0 के आदेश की छायाप्रति में यह जिक्र किया गया है। इसी वाद में भू–वापसी वाद सं0 110/83 में पारित आदेश को अवलोकन से ज्ञात होता है कि विवादित भूमि 4.18 एकड़ पर द्वितीय पक्ष पर फैसला दिया गया है। उन्होंने भू–वापसी की कार्रवाई हेतु अनुशंसा किये हैं।

उभय पक्षों को सुना एवं वाद से जुड़े सभी कागजातों एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्व नहीं बनता है। अपीलार्थी का अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। आदेश की प्रति संबंधितों को भेजें एवं अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्त्ता,
रामगढ़।

अपर समाहर्त्ता,
रामगढ़।